राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2183/2025

अरूण कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 18.03.2025

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर पीएचसी जाटावाली, गोविंदगढ, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) में अपीलार्थी का नाम अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएचसी भारून्दा, सुमेरपुर, पाली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का नाम अरूण कुमार शर्मा है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम अरूण शर्मा गलत अंकित किया गया है, ऐसे में आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर केवल अरूण शर्मा अंकित किये

जाने से स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी की पहचान किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते है। यह केवलमात्र टंकण की त्रुटि होना प्रकट होता है। साथ ही स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पीएचसी जाटावाली, गोविन्दगढ, जयपुर सही अंकित किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी के संबंध में ही जारी किया जाना प्रकट होता है एवं अपीलार्थी को आलोच्य आदेश में ठीक प्रकार से पहचाना जा सकता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)